

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र010/र0वि0अधि0-11/2020

1647

खाद्य, पटना/दिनांक- 9.4.2021

प्रेषक,

विनय कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:- रबी विपणन मौसम 2021-22 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश के संबंध में।

महाशय,

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत रबी विपणन मौसम, 2021-22 में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम 20, अप्रैल, 2021 से प्रारंभ है। राज्य के पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक गेहूँ की अधिप्राप्ति किये जाने हेतु विस्तृत कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश तैयार किया गया है, जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः रबी विपणन मौसम 2021-22 हेतु कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश में दिये गये प्रावधानों के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

ज्ञापांक- प्र010/ र0वि0अधि0-11/2020 1647

खाद्य, पटना/दिनांक- 9.4.2021

प्रतिलिपि-सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- प्र010/ र0वि0अधि0-11/2020 1647

खाद्य, पटना/दिनांक- 9.4.2021

प्रतिलिपि-सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- प्र010/ र0वि0अधि0-11/2020 1647

खाद्य, पटना/ दिनांक-

प्रतिलिपि- सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- प्र010/ र0वि0अधि0-11/2020 1647

खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि-सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- प्र010/ र0वि0अधि0-11/2020 1647

खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव तथा माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

संचिका संख्या— प्र010/र0वि0अधि0-11/2020

रबी विपणन मौसम 2021-22 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश।

राज्य में गेहूँ की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) योजना के अंतर्गत सम्पन्न की जा रही है। भारत सरकार के पत्रांक— 7(1)/2021-Py.1 दिनांक— 08.03.2021 के आलोक में समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए 01 लाख मे0टन गेहूँ की अधिप्राप्ति हेतु सांकेतिक लक्ष्य माना जाय तथा रबी विपणन मौसम 2021-22 में अधिक से अधिक गेहूँ अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाय। राज्य अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति सम्पन्न करने के लिए पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। पैक्स तथा व्यापार मंडल अधिप्राप्ति गेहूँ को नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर उनके द्वारा प्रतिनियुक्त गुण नियंत्रकों से गुणवत्ता की जाँच कराकर जमा करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अधिप्राप्ति वर्ष 2021-22 में राज्य के किसानों से गेहूँ का क्रय पंजीकृत किसानों से ही हो एवं व्यापारियों/बिचौलियों को गेहूँ अधिप्राप्ति से पृथक् रखा जाए ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य के सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

पूरी गेहूँ अधिप्राप्ति प्रक्रिया Online Procurement System आधारित है। ऐसी स्थिति में गेहूँ का क्रय, किसानों का भुगतान, पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा क्रय गेहूँ का संग्रहण केन्द्रों पर जमा(वाहन सहित), गेहूँ संग्रहण केन्द्रों से टी0पी0डी0एस0 गोदामों पर गेहूँ का प्रेषण इत्यादि की कार्रवाई NIC द्वारा निर्मित पोर्टल epacs.bih.nic.in पर ऑन-लाइन क्रियान्वित होंगे। चूँकि, अधिप्राप्ति का सम्पूर्ण कार्य ऑन-लाइन है, अतएव NPP Portal पर भी Real Time Upload होगा। सभी प्रकार का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाएगा। जिला प्रबंधक, पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा PFMS के माध्यम से क्रमशः किसानों एवं पैक्स/व्यापार मंडल को भुगतान होगा। अधिप्राप्ति प्रक्रिया Online Procurement System आधारित हो जाने पर पैक्स/व्यापारमंडल से किसानों का भुगतान एवं NPP Portal की विवरणी से सम्पुष्टि के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

रबी विपणन मौसम 2021-22 के लिए भारत सरकार के पत्रांक संख्या-7(7)/2020-PY.I दिनांक- 28.09.2020 द्वारा गेहूँ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है तथा पत्र संख्या- 7(1)/2021-Py.1 दिनांक- 08.03.2021 के द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम का निर्धारण कर उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत् है :-

1	गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य	1975/- रु0 प्रति क्विंटल
2	गेहूँ अधिप्राप्ति की अवधि	दिनांक- 20.04.2021 से 15.07.2021 तक★

★ बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि 21.07.2021 होगी।

2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें

- रबी विपणन मौसम 2021-22 में राज्य अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति पूर्व वर्ष की तरह विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी होगा।
- अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ को राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उसकी गुणवत्ता की जाँच कर उक्त गेहूँ का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत किया जाएगा।
- राज्य के किसानों से गेहूँ की अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग अन्तर्गत कार्यरत पंचायत स्तर पर पैक्स तथा प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से किया जाना है। सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगी कि तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से अक्रियाशील पैक्स/व्यापार मंडल

54/2

को छोड़कर राज्य के सभी पैक्स/व्यापार मंडल गेहूँ क्रय केन्द्र हेतु क्रियाशील होंगे। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में निकटतम दूरी पर अवस्थित सक्षम पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से गेहूँ अधिप्राप्ति का कार्य कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसानों को गेहूँ बिक्री में कोई असुविधा न हो।

- रबी विपणन मौसम, 2021-22 में वैसे पैक्स/व्यापार मंडल जिनके द्वारा विगत अधिप्राप्ति कार्यों में अनियमितता बरती गयी है तथा जिन्हें जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है, को गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न नहीं किया जायेगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति की जायेगी। वैसे किसान जिनकी भूमि दो से अधिक पंचायतों में अवस्थित है उनके द्वारा सम्पूर्ण गेहूँ उनके निवास के पंचायत से सम्बद्ध पैक्स में ही दिया जा सकेगा।
- कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों का किसी प्रकार संशोधन कृषि विभाग के पोर्टल पर ही किया जाएगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल के अध्यक्ष अपने मोबाईल ऐप से कृषि विभाग के निबंधित किसानों की विवरणी प्राप्त करेंगे एवं प्राप्त विवरणी के आधार पर किसान का प्रकार (रैयत/गैर रैयत का वर्गीकरण), अधिप्राप्ति की मात्रा एवं गैर-रैयत श्रेणी के किसानों से स्व-घोषणा-पत्र का फोटो/Picture अपलोड करेंगे।
- प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार अथवा संदेह/आरोप की स्थिति में संबंधित किसानों के संबंध में आवश्यक जांच की जाएगी और तदनुसार गेहूँ अधिप्राप्ति का अनुमोदन किया जायेगा।
- राज्य के किसानों को गेहूँ की अधिप्राप्ति के परिपेक्ष्य में भुगतान PFMS के माध्यम से तत्काल (48 घंटों के अन्दर) भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान बकाया नहीं रखा जाएगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्त गेहूँ को संग्रहण केन्द्रों में जमा करते समय पंजीकृत किसानों को क्रय गेहूँ के विरुद्ध PFMS के माध्यम से किये गये भुगतान के साक्ष्य (Advice) के आधार पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रवर्तन प्रमाण पत्र के आलोक में निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि कमीशन सहित भुगतान किया जाएगा।
- रबी विपणन मौसम 2021-22 में यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन जिलों द्वारा निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत अधिप्राप्ति गेहूँ की मात्रा जमा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन जिलों के संबंधित पैक्स/व्यापार मंडलों को अविलम्ब चिन्हित किया जाय एवं उन्हें काली सूची में डालते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी / अनुशासनिक कार्रवाई किया जाए।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति का कार्य बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा राज्य सरकार के निर्णय अनुसार नोडल एजेंसी के रूप में करती है। गेहूँ अधिप्राप्ति से संबद्ध सभी राशि सरकारी राशि है।
- किसानों से गेहूँ का क्रय संबंधित किसानों से स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतम सीमा 150 (एक सौ पच्चास) क्विंटल तक निर्धारित रहेगी ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पाए।
- वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, उनसे कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन के पश्चात् फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड एवं अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) तथा उनके द्वारा प्रयुक्त भूमि का रकबा/क्षेत्रफल से संबंधित स्वघोषणा पत्र पर अपने आवास से संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत से किसान सलाहकार की अनुशंसा के आधार पर अधिकतम 50 क्वी० गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाएगी।
- पैक्स/व्यापार मंडल के स्तर पर खोले गये क्रय केन्द्रों द्वारा किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित गेहूँ का क्रय नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित गेहूँ की मात्रा प्रतिवेदित न हो इसके लिए पैक्स/व्यापार मंडलों के गोदामों के साथ गेहूँ संग्रहण केन्द्रों का भी भौतिक सत्यापन सुनिश्चित की जाय एवं निर्धारित समय सीमा के पूर्व गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर अधिप्राप्ति गेहूँ की मात्रा प्राप्त कराते हुए तत्संबंधी अन्तिम प्रतिवेदन सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध करायी जाए।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था में उच्च पारदर्शिता एवं ई-गवर्नेन्स की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया गेहूँ क्रय एवं भुगतान आदि Computer Software के माध्यम से होगी। बिहार

- राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा PFMS प्रक्रिया अंतर्गत जिला को भुगतान हेतु PFMS में नामित खातों से राशि आवंटित किया जाएगा।
- गेहूँ अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निदेशानुसार Online Procurement Management System (OPMS) के माध्यम से सम्पन्न होगा एवं Online Daily Reporting बाध्यकारी होगा। जिलों द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति का दैनिक प्रतिवेदन सहकारिता विभाग को भेजने के साथ राज्य खाद्य निगम को भेजा जायेगा। साथ ही उक्त दैनिक प्रतिवेदन की एक प्रति एफ0सी0आई0 के जिला कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक को भी उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति ऑनलाईन के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
 - नोडल एजेंसी के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अधिप्राप्ति साफ्टवेयर के माध्यम से गेहूँ का क्रय, भुगतान एवं गेहूँ की प्राप्ति का कार्य चरणबद्ध रूप से सम्पन्न करेगी। इस प्रकार अधिप्राप्ति की सारी प्रक्रिया e-procurement software द्वारा सम्पादित किया जाएगा।
 - बिहार राज्य खाद्य निगम यह सुनिश्चित करेगा कि गेहूँ की प्राप्ति हेतु यथा वांछित संख्या में गन्नी बैग्स की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि किसी भी परिस्थिति में जिलान्तर्गत गन्नी बैग्स की कमी नहीं हो सके।
 - बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा पूर्व की भाँति लॉटवार (प्रति लॉट 270 क्वी0) गेहूँ जमा किया जाएगा।
3. राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से अविलम्ब कर ली जाए।

(I) लक्ष्य का निर्धारण

- रबी विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्व रबी विपणन मौसम की भाँति भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांकेतिक लक्ष्य को अंतिम सीमा नहीं माना जाए एवं राज्य के किसानों से अधिक से अधिक निर्धारित सीमा अन्तर्गत उनके द्वारा उत्पादित गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाए।
- बतौर नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का पैक्स/व्यापार मंडलों से सिर्फ अधिप्राप्ति गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर प्राप्त करने का दायित्व होगा। पैक्स/व्यापारमंडलों के क्रय केन्द्रों पर कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से ही गेहूँ क्रय करने की व्यवस्था रहेगी। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा स्थापित संग्रहण केन्द्रों पर गोदाम प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक की तत्काल प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
- रबी विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित लक्ष्य न्यूनतम एवं सांकेतिक है, यह भी अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को अपने स्तर से प्रखंडवार/पंचायतवार निर्धारित करें ताकि आवश्यकतानुसार संबंधित पैक्स/व्यापारमंडलों द्वारा पर्याप्त तैयारी ससमय की जा सके।
- पैक्स/व्यापारमंडलवार गेहूँ क्रय का लक्ष्य निर्धारित करते समय संबंधित जिला पदाधिकारी जिलान्तर्गत गेहूँ उत्पादन की वास्तविक आकड़ों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में गेहूँ अधिप्राप्ति की मात्रा उत्पादन सीमा से अधिक न हो।

(II) क्रय केन्द्रों का निर्धारण

- रबी विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत किसानों से गेहूँ का क्रय मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापारमंडल द्वारा क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी। मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की है। सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिलान्तर्गत संचालित सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गयी है :-
 - क्रय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का बैनर / दीवार अभिलेखन।
 - क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था।
 - वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए क्रय केन्द्रों पर मॉस्क, सेनेटाईजर, साबुन, पानी की व्यवस्था के साथ समाजिक दूरी बनाये रखने की व्यवस्था।
 - माप-तौल यंत्र की व्यवस्था।

- Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration ।
- कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की सूची जिनके द्वारा अधिप्राप्ति हेतु अनुरोध किया गया है, उक्त सूची जिले के बेवसाईट तथा पैक्स/व्यापार मंडलों के क्रय केन्द्र पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था, ताकि किसानों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके ।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था ।
- माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था ।
- पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था ।
- केन्द्र के आस-पास पर्याप्त खुले स्थान का होना ।
- विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजियों का संधारण ।
- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये गेहूँ को निर्धारित बेस गोदाम पर पहुंचाने हेतु परिवहन व्यवस्था ।
- किसानों को **PFMS** के माध्यम से अविलंब भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई ।
- सहकारिता विभाग द्वारा किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील किये जानेवाले पैक्स/व्यापार मंडलों के स्तर पर क्रय केन्द्र हेतु गोदाम की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की होगी। व्यापार मंडलों द्वारा किसानों से क्रय किये गये गेहूँ को गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जायेगा । वैसे गोदाम जहाँ पहुँच पथ की व्यवस्था सुगम नहीं है उन गोदामों को चिन्हित कर संबंधित जिला पदाधिकारी आपदा मोड में पहुँच पथ तैयार कराकर नव निर्मित गोदामों की उपयोगिता सुनिश्चित करेंगे।
- सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके जिले में उपर्युक्त तैयारियों के साथ 20 अप्रैल 2021 से गेहूँ अधिप्राप्ति क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत / क्रियाशील हो जाए ।
- पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्रों पर गेहूँ उपलब्ध कराने वाले सभी कृषकों को गेहूँ प्राप्ति के उपरान्त प्राप्ति रसीद एवं राशि भुगतान रसीद की छायाप्रति उपलब्ध करायेंगे ।
- पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र द्वारा प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यों की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन /**MS-Excel, Kruti Dev 010** के माध्यम से प्रखंड/जिला/मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था अनिवार्य होगी ।
- अधिप्राप्ति अवधि (15.07.2021 तक) समाप्त होते ही जिला पदाधिकारी सभी क्रय केन्द्रों यथा पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र से विहित प्रपत्र में गेहूँ क्रय का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त कर पूर्ववत् बिना चूक के भेजेंगे एवं उसका संयुक्त भौतिक सत्यापन (विडियोग्राफी सहित) जी०पी०एस० आधारित फोटोग्राफी/विडियोग्राफी क्रय केन्द्रों से ही अपलोड करेंगे एवं समेकित कराकर प्रतिवेदन अधिकतम 10 दिनों के अन्दर तक सहकारिता विभाग, निगम मुख्यालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को ई-मेल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पुनः समर्पित संशोधित प्रतिवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।
- अधिप्राप्ति का कार्य अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्पन्न कराया जाना है, जिसमें गोदामों में भण्डारित अवशेष भी दर्शित होगा। ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी नियमित रूप से क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक माह कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति के मामले में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जा सके।
- पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ का परिवहन कर निगम द्वारा संचालित निकटतम गेहूँ संग्रहण केन्द्र, (जो सी०एम०आर० एवं पी०डी०एस० गोदाम से अलग होगा) पर स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे ।
- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पैक्स/व्यापारमंडलों से अधिप्राप्ति गेहूँ की मात्रा प्राप्त की जायेगी । गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर गेहूँ प्राप्ति के संदर्भ में निम्नांकित तथ्य अनुकरणीय होगा :-
 - पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति किए गए गेहूँ के विरुद्ध लॉटवार (प्रति लॉट 270 क्वी०) गेहूँ जमा किया जाएगा ।
 - प्रत्येक गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी पैक्स/व्यापारमंडलवार प्रति लॉट प्राप्त गेहूँ की सूचना जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति) को प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जाएगा ।

5/4/21

- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा जमा करने हेतु लाए गये गेहूँ का वाहन सहित फोटोग्राफी कराना एवं अपलोड करना तथा अभिलेख के रूप में संघारित किया जाना।
- अधिप्राप्ति की सभी कार्रवाई epacs.bih.nic.in पर ऑन-लाईन सम्पन्न होगा।
- गेहूँ के निर्गमन में प्रथम आगत-प्रथम निर्गत सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

(iii)

भंडारण की व्यवस्था

- अधिप्राप्ति गेहूँ भंडारण हेतु प्रयुक्त सभी गोदाम अधिसूचित होंगे। सभी अधिसूचित गोदामों की सूची अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर दर्ज रहेगी तथा सभी गोदामों का फोटो अपलोडेड रहेगा। सभी अधिसूचित गोदामों का अक्षांश/देशान्तर भी सूची में अंकित रहेगा, ताकि गोदामों के सही Location की पहचान आसानी से हो सके। गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले जिलावार गोदामों को सहकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- जिलों में पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्रों एवं उसके साथ सम्बद्ध गोदामों/बिहार राज्य भंडार निगम/बिहार राज्य खाद्य निगम के उपलब्ध गोदामों को गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए प्रयोग में लाने हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम जिलावार गोदामों को अधिसूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी गेहूँ संग्रहण हेतु उपयोग में लिये जाने वाले गोदामों को अवशेष भंडार शून्य (Zero Physical Verification) के पश्चात उक्त गोदामों का विडियोग्राफी कराये जाने के पश्चात ही अधिप्राप्ति गेहूँ प्राप्त किया जाय।
- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा बाजार समिति प्रांगण में गोदाम की व्यवस्था की जाती है। पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिलों में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र के प्रांगण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाउन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े-बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी-सह-नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराकर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध करायी जाय। तदनुसार बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जाएगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल के गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील गोदामों पर निम्न व्यवस्था रहेगी :-
 - वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाव को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्ति क्रय केन्द्रों पर कार्यरत कर्मियों एवं आगन्तुकों में सामाजिक दूरी को बनाये रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है।
 - वैश्विक महामारी के फलस्वरूप सामाजिक दूरी को प्रभावी बनाने के लिए टोकन व्यवस्था लागू किया जाना।
 - क्रय केन्द्रों पर कार्यरत कर्मियों के लिए साबुन, पानी, मास्क, सिनेटाईजर आदि की व्यवस्था।
 - निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप गुणवत्ता जॉच की व्यवस्था एवं Dunnage मटेरियल की उपलब्धता।
 - निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की व्यवस्था।
 - निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नाइलन की रस्सी।
 - घेराबंदी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो।
 - कैप कार्यालय की व्यवस्था।
 - पर्याप्त रोशनी (लाईटिंग) की व्यवस्था।
 - अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था।
 - सुरक्षा की व्यवस्था।
 - निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता।
 - निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण।
 - प्रतिदिन Procurement Software पर ऑनलाईन/निर्धारित प्रपत्र में MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कार्यालय/जिला/सहकारिता विभाग/राज्य खाद्य निगम/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

- किसानों का फोटोयुक्त पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छायाप्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज-इनमें से कोई एक।
- अगर किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हो, तो उनके लिए निम्न कागजातों की आवश्यकता होगी :- 1. अपना फोटो 2. पहचान पत्र (आधार कार्ड एवं अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) 3. बैंक पासबुक 4. धान उत्पादन में किसानों के द्वारा प्रयुक्त भूमि का रकबा/क्षेत्रफल से संबंधित स्व0 घोषणा पत्र (इस घोषणा पत्र पर अपने आवास से संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत से किसान सलाहकार की अनुशंसा अनिवार्य होगी)।
- क्रय के क्रम में कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित किया जाएगा तथा सत्यापित करना।
- रबी विपणन मौसम, 2021-22 अंतर्गत साफ-सुथरे एवं सूखे हुए गेहूँ, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो, को ध्यान में रखते हुए किसानों से गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाए। साथ ही किसानों से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के स्तर से निर्गत सत्यापन प्रमाण पत्र निश्चित रूप से संलग्न रहे।
- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ का हस्तांतरण निगम के अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्र के गोदामों पर विहित प्रपत्र में निर्गत एक्सेपटेन्स ऑर्डर के आधार पर किया जायेगा। राज्य खाद्य निगम गेहूँ संग्रहण केन्द्रों की स्थापना करना सुनिश्चित करेगी, ताकि पैक्स/व्यापार मंडलों का दबाव कम हो।

(V)

भुगतान की व्यवस्था

- किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित कोई भी गेहूँ की अधिप्राप्ति एवं भुगतान नहीं किया जाएगा।
- किसानों को पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जायेगी, जिसपर क्रय गेहूँ की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की सम्भावित तिथि आदि अंकित होगी। किसान को खाते में PFMS के माध्यम से राशि अन्तरण की सूचना SMS से भी प्राप्त होगी।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा यह सुनिश्चित की जायेगी कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को उनसे क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान अविलम्ब PFMS के माध्यम से संबंधित क्रय केन्द्र पर ही तत्काल (48 घण्टे के अन्दर) कर दिया जाय। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाए :-
- पैक्स/व्यापार मंडल के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर PFMS के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का प्रतिदिन उपलब्ध होना।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान PFMS के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरन्त बाद किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी किसान का भुगतान लंबित नहीं रखा जाय। भुगतान की सूचना SMS से किसानों को उसके पंजीकृत मोबाईल पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- पैक्स/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा गेहूँ के विरुद्ध जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उनसे प्राप्त कागजातों यथा सत्यापित बैंक एडवाईस, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र, गेहूँ का पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा निर्गत आर0टी0 नोट, एक्सेपटेन्स नोट एवं वजन तालिका आदि के विधिवत जॉचोपरांत PFMS के माध्यम से अधिकतम 03 दिनों के अंदर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं PFMS पोर्टल में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(VI) जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था।

- रबी विपणन मौसम, 2021-22 अंतर्गत जिला पदाधिकारी जिला स्तर पर गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति करेंगे एवं स्वयं जिला अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि गेहूँ अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बनी रहे।




- प्रबंधन/अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो।
 - अनुमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमंडल अंतर्गत अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS- Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेजेंगे।
 - प्रत्येक प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य का नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला पदाधिकारी जिला से एक वरीय उप समाहर्ता की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
 - प्रखंड स्तर पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर गेहूँ अधिप्राप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकृत किया जाय।
4. पैक्स/व्यापार मंडल के क्रय केन्द्रों पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति
- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा किसानों से गेहूँ क्रय करने के पश्चात् उसे बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर सुपूर्द करने हेतु जिला प्रबंधक द्वारा Acceptance Order निर्गत किया जाएगा। Acceptance Order के आलोक में ही गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर प्राप्त किया जाएगा।
5. पैक्स/व्यापार मंडलों से गेहूँ प्राप्त करने हेतु रोस्टर की व्यवस्था
- बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों से गेहूँ लेने के लिए पैक्स/व्यापार मंडलों का रोस्टर तैयार कर लिया जाय ताकि पैक्स/व्यापार मंडलों को यह जानकारी रहें कि किस तिथि को उन्हें बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर गेहूँ पहुँचाना है। इस व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जाए कि बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगे एवं पैक्स/व्यापार मंडल सुगमतापूर्वक बिना कठिनाई के बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के गोदामों पर गेहूँ की सुपूर्दगी कर सकें।
6. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न स्तरों (पदाधिकारियों/विभागों) की भूमिका।
- (i) अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका।
- जिला अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधिप्राप्ति गेहूँ की प्राप्ति एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर अधिप्राप्ति गेहूँ को हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।
 - क्रय केन्द्रों का निरीक्षक कर वास्तविक किसानों से गेहूँ का क्रय सुनिश्चित करना एवं लगातार क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कराकर गेहूँ अधिप्राप्ति को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
 - जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।
 - पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर प्राप्त गेहूँ से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को दैनिक प्रतिवेदन भेजना।
 - बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार अनुभवी एवं आरोपरहित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।
 - बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर वितरण प्रणाली से जुड़े पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
 - सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्स/व्यापार मंडलों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना।
 - राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।

(ii) अधिप्राप्ति कार्य में आरक्षी अधीक्षक की भूमिका।

- क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।

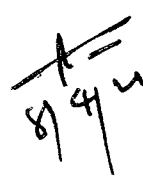
(iii) अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम/पैक्स/व्यापार मंडलों की भूमिका।

- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा आवश्यकतानुसार अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों की स्थापना एवं उसे 20.04.2021 से क्रियाशील करना।
- पैक्स/व्यापार मंडलों से अधिप्राप्त गेहूँ के परिप्रेक्ष्य में गेहूँ की मात्रा गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर प्राप्त करना।
- प्रतिदिन पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर प्राप्त की गयी मात्रा से संबंधित प्रतिवेदन, विभाग, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं सहकारिता विभाग को भेजना है।
- पैक्स/व्यापार मंडलों को लेखा का संचारण एवं अधिप्राप्ति का वर्षवार लेखाओं का अंकक्षण कराना।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना।
- किसानों द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों के क्रय केन्द्रों पर अधिप्राप्ति हेतु लाए गये गेहूँ का अनलोडिंग एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र गोदाम तक पहुँचाने की जिम्मेवारी पैक्स/व्यापार मंडलों की होगी। इसके लिए पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा पर्याप्त संख्या में मजदूरों की व्यवस्था करना एवं स्वीकृत दर पर भुगतान सुनिश्चित करना।
- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा गेहूँ संग्रहण केन्द्रों में अधिप्राप्ति गेहूँ जमा कराने के पूर्व जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से विहित प्रपत्र में एक्सेप्टेंस आर्डर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। गेहूँ संग्रहण केन्द्र गोदाम प्रभारी जिला कार्यालय से निर्गत एक्सेप्टेंस आर्डर के आधार पर ही पैक्स/व्यापार मंडलों से अधिप्राप्ति गेहूँ प्राप्त करेंगे।
- नोडल एजेंसी के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पैक्स/व्यापार मंडल से प्राप्त गेहूँ की मात्रा को विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत टी0पी0डी0एस0 में उसके प्रयोग का प्रबंधन करेगी। गेहूँ अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति को अधिक सूचारू एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश निगम अपने वित्तीय एवं प्रशासनिक हित में निर्गत करेगी।
- गेहूँ अधिप्राप्ति के समापन की समीक्षा कर दैनिक एवं अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त करना। रबी विपणन मौसम, 2021-22 के समापन के उपरांत गोदामों का सत्यापन एवं अंकक्षण कराना।

(iv) अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका।

- जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगे।
- यदि पैक्स/व्यापार मंडल के स्तर पर किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति ससमय नहीं लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो त्वरित कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जायेगा एवं निर्धारित समय-सीमा के अंदर गेहूँ की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- रबी विपणन मौसम, 2021-22 अंतर्गत सिर्फ अंकक्षित पैक्स/व्यापार मंडलों को गेहूँ अधिप्राप्ति करने हेतु प्राधिकृत करेंगे।
- सहकारिता विभाग द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों का डाटा सत्यापित किये जाने के पश्चात् सत्यापित डाटाबेस के आधार पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों से प्राप्त किये गये गेहूँ के विरुद्ध भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
- सभी पैक्स/व्यापार मंडल गेहूँ की अधिप्राप्ति के पश्चात् चेक लिस्ट के अनुसार किसानों से वांछित कागजात प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के जिलास्तरीय कार्यालय में जमा करेंगे, ताकि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा निर्गत एक्सेप्टेंस आर्डर के आधार पर गेहूँ संग्रहण केन्द्रों में अधिप्राप्ति गेहूँ जमा करने की कार्रवाई की जाएगी।

- किसानों का सभी डाटा बेस Unicode में अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, ताकि किसानों को असुविधा न हो।
- पैक्स/व्यापार मंडल वायदा आधारित (future trade based) गेहूँ का क्रय किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि पैक्स/व्यापार मंडलों को नगद ऋण अधिसीमा (सी0सी0 लिमिट) आवश्यकतानुसार अविलंब उपलब्ध हो।
- सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से किसानों से नित्य दिन क्रय किये गये गेहूँ के आँकड़ों से भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम/सहकारिता विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/मुख्य सचिव, बिहार को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें किसानों की संख्या धान की मात्रा का जिलावार विवरणी उल्लिखित हो।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्स/व्यापार मंडलों का चयन करना।
- वैसे पैक्स/व्यापार मंडल, जो किसी कारणवश गत वर्ष अधिप्राप्ति कार्य में भाग नहीं ले पाये, को रबी विपणन मौसम, 2021-22 में कार्य करने की स्थिति में लाने की दिशा में समुचित/विधिसम्मत कार्रवाई करना, ताकि सभी प्रखंडों में गेहूँ अधिप्राप्ति का केन्द्र क्रियाशील हो सके।
- पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्रों पर गेहूँ के क्रय के पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप गेहूँ के गुणवत्ता की जाँच प्रत्येक कार्य दिवस को क्रय के पश्चात किसानों को PFMS के माध्यम से भुगतान की गयी राशि, पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ की प्रारंभिक भंडार प्राप्ति एवं विशेष भंडार सतत निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु मापदंड निर्धारित करना।
- पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्रों का सुचारुपूर्वक संचालन सुनिश्चित करना।
- पैक्स/व्यापार मंडल गेहूँ क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक सप्ताह में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में किया जायेगा। भौतिक सत्यापन प्रपत्र पर दो स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी अपेक्षित होगा। साथ ही सत्यापन का फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी भी आवश्यक होगा।
- गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर अधिप्राप्ति गेहूँ हस्तगत कराने से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना। साथ ही मोबाईल ऐप के माध्यम से Online Access किया जाएगा।
- पैक्स/व्यापार मंडलों को कॉ-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना, ताकि किसानों को तत्काल PFMS से ऑन-लाईन भुगतान हो सके।
- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रही अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- पैक्स/व्यापार मंडलों के प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना।
- वैसे जिले जहाँ सहकारी बैंक नहीं है, वहाँ बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा पूर्व की भाँति वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
- गेहूँ अधिप्राप्ति अवधि 15.07.2021 समाप्त होने के दो दिनों के अंदर पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से सौंप दिया जायेगा तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अधिकतम दस दिनों के अंदर संयुक्त हस्ताक्षरित समेकित प्रतिवेदन जिला मुख्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान रहे कि अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने के पश्चात उसमें पुनः किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अन्तोगत्वा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षरित संबंधित समेकित अंतिम प्रतिवेदन को जिला पदाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित कर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सहकारिता विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।




(v) अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका।

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।
- नोडल विभाग के हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभाग के बीच समन्वय का कार्य करना।
- प्रतिदिन सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्ति से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजना।
- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराना।

(VI) जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका।

- प्रत्येक माह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी मंत्री, सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करना।

(VII) प्रमंडलीय आयुक्त की भूमिका।

- प्रत्येक सप्ताह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी माननीय मंत्री, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना।

7. जिला पदाधिकारी की विशेष शक्तियाँ।

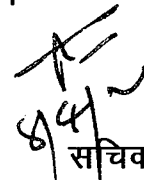
- प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के अधीन होगा। साथ ही गेहूँ अधिप्राप्ति एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर गेहूँ की प्राप्ति में जिलाधिकारी पर्यवेक्षण के साथ-साथ अधिक गुरुत्तर जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेंगे।

8. स्थानांतरण एवं अवकाश पर प्रतिबंध।

- सामान्य रूप से अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरिक प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य से जुड़े सभी अभिलेख एवं भंडार का पूर्ण प्रभार सौंप कर विरमित होंगे।
- अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अत्यंत आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित।


सचिव,
सहकारिता विभाग
बिहार, पटना।


सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।